राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई–33/रेडियो./एफ.210/2019/ दिनांक :

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सख्या 11705/2015 जितेन्द्र शर्मा (सहायक रेडियोग्राफर अभ्यर्थी) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2018 के सन्दर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :–

"In the result, the respondents are directed to redraw the merit list and accord appointment to the petitioners, strictly as per their merit, if they are otherwise found eligible. However, petitioners would be entitled to all the consequential benefits on notional basis.

It is made clear that the candidates, who have already been appointed, they may not be disturbed, if vacancies are available in terms of the advertisement and appointment has been according to merit."

विभाग की सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती–2013 की विज्ञप्ति दिनांक 30.8.2013 के अनुसार सहायक रेडियोग्राफर पद की योग्यता निम्न प्रकार थी :–

1. जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक के साथ विज्ञान मे सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य साथ ही राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजस्थान चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से रेडियोग्राफी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और
2. राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत। (राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से आवश्यक होगा जब परिषद रजिस्ट्रीकरण प्रकिया प्रारम्भ करें)

ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार याचिगणों की व्यावसायिक योग्यता राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली से प्राप्त है। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.4.2018 के अनुसार अन्यथा योग्य पाये जाने पर याचिगणों का चयन वर्ष 2013 के रिक्त पद पर करने के निर्देश है, साथ ही याचिगणो के पूर्व से ही चयनित होने की स्थिति मे भर्ती विज्ञप्ति की शर्तो के अधीन रिक्त पद पर वरियता के आधार पर ना हटाने के भी निर्देश दिये है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट संख्या 13955/2018 रविन्द्र यादव व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एव अन्य समान प्रकरणो मे दिनांक 11.7.2018 को निर्णय पारित किया है कि विभाग में भर्ती वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार ही की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.4.2018 में स्पष्ट अंकन किया है कि– "In the result, the respondents are directed to redraw the merit list and accord appointment to the petitioners, strictly as per their merit, if they are otherwise found eligible

वर्तमान में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल जयपुर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो याचिकाकर्ता के पास नही है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान प्रचलित नियमों से विभाग में सहायक रेडियोग्राफर के पदों की भर्ती हेतु दिनांक 10.10.2016 को विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की जा चुकी है। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती वर्ष 2013 के कोई पद रिक्त नही है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट संख्या 13955/2018 रविन्द्र यादव व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार सहायक रेडियोग्राफर पद की निर्धारित योग्यता नही रखते है। अतः उन्हे नियुक्ति दिया जाना सम्भव नही है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई–33/रेडियो./एफ.210/2019/ 297 दिनांक : 4/9/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्स एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन) एवं केस अधिकारी प्रभारी, मुख्यालय को वास्ते विधिक कार्यवाही हेतु।
4. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

order doc